

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ ८५ /2022 दिनांक 08.07.2022

श्रीमती नुसरत बानो (R.J0363), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को दिनांक 11.07.2022 से 16.07.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 09.07.2022 से 10.07.2022 एवं 17.07.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती बानो की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा रा  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/69/2000/ ५१४०

दिनांक ०८.०७.२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 7150 दिनांक 24.06.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नुसरत बानो (R.J0363), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।

सहायक रजिस्ट्रार